

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुंतला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 212/2022

अनवान :

हवासिंह पुत्र धर्मपाल जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।

:- वादी


बनाम


1. धर्मपाल पुत्र मनीराम जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. रणसिंह पुत्र धर्मपाल जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. कमला देवी पुत्री धर्मपाल पत्नी इन्द्र सिंह निवासी भिरानी हाल जोगीवाला त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं० 178/164 के मु०न० 34 के कि०न० 11/1 की 0.2410है० कि०न० 11/2 की 0.0120है० गैर मु० रास्ता कि०न० 12/1 की 0.2410है० कि०न० 12/2 की 0.0120है० गैर मु० रास्ता कि०न० 13/1 की 0.2410है० कि०न० 13/2 की 0.0120है० गैर मु० रास्ता कि०न० 14/1 की 0.2410है० कि०न० 14/2 की 0.0120है० गैर मु० रास्ता कि०न० 16 ता 20 के प्रत्येक किला की 0.2530है०, मु०न० 35 के कि०न० 14/1 की 0.2400है० कि०न० 14/2 की 0.0130है० गैर मु० रास्ता कि०न० 15/1 की 0.2400है० कि०न० 15/2 की 0.0130है० गैर मु० रास्ता कि०न० 16 व 17 प्रत्येक की 0.2530है० मु०न० 439 कि०न० 23 ता 25 प्रत्येक की 0.2530है०, मु०न० 440 के कि०न० 21 की 0.2530है०, मु०न० 463 के कि०न० 1 व 2 प्रत्येक की 0.2530है० कि०न० 3/1 की 0.2400है० कि०न० 3/2 की 0.0130है० गैर मु० रास्ता कि०न० 4/1 की 0.2400है० कि०न० 4/2 की 0.0130है० गैर मु० रास्ता कि०न० 8/1 की 0.2400है० कि०न० 8/2 की 0.0130है० गैर मु० रास्ता कि०न० 9 की 0.2530है० कि०न० 12/2 व 13/3 प्रत्येक की 0.0640है०, मु०न० 464 के कि०न० 3 ता 5 प्रत्येक की 0.2530है० कुल 6.7060है० में 6.5930है० वाराणी व 0.1130है० गैर मु० रास्ता वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल के नाम दर्ज वाद भूमि में प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल अकेले की बजाए वादी हवासिंह को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 रणसिंह को 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ने अपना हक हिस्सा वादी हवासिंह के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ~~22/11/2022~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शकुंतला चौधरी) B.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़